न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 04/2017

दायर दिनांक : 10.07.2017

आदेश दिनांक : 06.02.2020

श्री श्यामलाल पिता श्री रामरतन काबरा निवासी श्रीनाथ इन, पुलिस थाने के सामने, एन.एच. 08, नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई 10 ए, पंचवटी, उदयपुर(राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, राजसमन्द
3. नगरपालिका नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जरिये आयुक्त महोदय
4. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी, एवं अपर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,राजसमन्द

–अप्रार्थीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थित

1. श्री सुनिल बोहरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. श्री अनुराग शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02
4. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03, अनुपस्थित
5. श्री गिरिश तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04

प्रार्थी की ओर से विपक्षी संख्या 04 के द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 18.05.2017 व 24.05.2017 से असंतुष्ठ होकर क्षतिपूर्ति पुनःनिर्धारण कर क्षतिपूर्ति राशि बढोतरी हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के आराजी नं0 3042/1453 रकबा 0.0125 हैक्टर, पटटा संख्या 02/88 वाणिज्यिक, आराजी नं0 3042/1453,1454 रकबा 0.0120 हैक्टर, पटटा संख्या 03/88 आवासीय, आराजी नं0 3042/1453 रकबा 0.0126 हैक्टर, पटटा संख्या 04/88 वाणिज्यिक, इसके अतिरिक्त 0.0632 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि भी सडक के उपयोग में आ रही हैं जो रूपांतरण के समय में छोडी गयी थी। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं0 04 के यहॉ विधि अनुसार आपत्तियॉ एवं क्लेम मय

दस्तावेजों व फोटो सहित प्रस्तुत किये गये। किन्तु विपक्षी संख्या 04 ने उन्हे नजर अन्दाज करते हुए अनरिजन्ड, आलोच्य अवार्ड पारित कर प्रार्थी बैंक के खाते में 1879920/– रूपया जमा करवा दिये। जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट नही हैं। प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का विपक्षी सं0 04 ने मुआवजे का निर्धारण प्रार्थी की अवाप्त की गई भूमि से काफि कम भूमि 0.0120 हैक्टेयर का ही काफी कम मुआवजा देरीना तय किया हैं तथा प्रार्थी द्वारा निर्मित संरचना बाउन्ड्रीवाल, गेट, सिक्यूरिटी रूम, स्टोर आदि का मुआवजा भी काफी कम निर्धारण कर दिया गया हैं। विपक्षी सं0 04 ने प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का वर्तमान मौके की स्थिति, किस्म एवं वर्तमान उपयोग उपभोग बाजार मुल्य के अनुसार मुआवजे का निर्धारण नही कर एक अवैध विधि विरूद्ध अवार्ड जारी किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही मे अवाप्त की गयी है। उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावें।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 04 की ओर से जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में प्रार्थी ने विपक्षीगण की मिलिभगत से विधि विरूद्ध भूमि अवाप्ति होना अंकित किया है, जो अस्वीकार व शेष राजस्व अभिलेख से संबंधित है तथा इसके अलावा 0.0632 हैक्टर कृषि भूमि जो रूपान्तरण के समय छोडी गई भूमि भारतीय रोड कॉग्रेस (IRC) की गाईड लाइन के अनुसार सडक के किनारे की भूमि सार्वजनिक होती है, जिस पर खातेदार का कोई अधिकार नहीं होता है। प्रार्थी को दिनांक 19.10.2013 एवं 21.04.2014 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, यह सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, इसके बावजुद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा के आराजी नं0 3042/1453 रकबा 0.0125 हैक्टर, पटटा संख्या 02/88 वाणिज्यिक, आराजी नं0 3042/1453,1454 रकबा 0.0120 हैक्टर, पटटा संख्या 03/88 आवासीय, आराजी नं0 3042/1453 रकबा 0.0126 हैक्टर, पटटा संख्या 04/88 वाणिज्यिक, इसके अतिरिक्त 0.0632 हैक्टर खातेदारी कृषि भूमि भी सडक के उपयोग में आ रही हैं जो रूपांतरण के समय में छोडी गयी थी। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं0 04 के यहॉ विधि अनुसार आपत्तियॉ एवं क्लेम मय दस्तावेजों व फोटो सहित प्रस्तुत किये गये। किन्तु विपक्षी संख्या 04 ने उन्हे नजर अन्दाज करते हुए अनरिजन्ड, आलोच्य अवार्ड पारित कर प्रार्थी बैंक के खाते में 1879920/– रूपया जमा करवा दिये। जिससे प्रार्थी सन्तुष्ट नही हैं। प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का विपक्षी सं0 04 ने मुआवजे का निर्धारण प्रार्थी की अवाप्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

की गई भूमि से काफि कम भूमि 0.0120 हैक्टेयर का ही काफी कम मुआवजा देरीना तय किया हैं तथा प्रार्थी द्वारा निर्मित संरचना बाउन्ड्रीवाल, गेट, सिक्यूरिटी रूम, स्टोर आदि का मुआवजा भी काफी कम निर्धारण कर दिया गया हैं। विपक्षी सं0 04 ने प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का वर्तमान मौके की स्थिति, किस्म एवं वर्तमान उपयोग उपभोग बाजार मुल्य के अनुसार मुआवजे का निर्धारण नही कर एक अवैध विधि विरूद्ध अवार्ड जारी किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण की मिलिभगत से विधि विरूद्ध भूमि अवाप्ति होना अंकित किया है, जो अस्वीकार शेष राजस्व अभिलेख से संबंधित है तथा इसके अलावा 0.0632 हैक्टर कृषि भूमि जो रूपान्तरण के समय छोडी गई भूमि भारतीय रोड कॉग्रेस(IRC) की गाईड लाइन के अनुसार सडक के किनारे की भूमि सार्वजनिक होती है, जिस पर खातेदार का कोई अधिकार नहीं होता है। प्रार्थी को दिनांक 19.10.2013 एवं 21.04.2014 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, यह सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, इसके बावजुद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नहीं किया है, अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आबादी भूमि के हिसाब से दिया गया जबकि उक्त भूमि आवासीय के साथ साथ वाणिज्यिक भूमि भी है अतः प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए तहसीलदार नाथद्वारा से जांच रिपोर्ट लेकर जितनी भूमि प्रार्थी की अवाप्त हुई है उसका सटीक आंकलन करते हुए नियमानुसार भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही करें। आदेश की प्रति एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 06.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद